में...

भी भारत की मुश्किलें
खेती के लिए आने
ारों किसान तकलीफ
फोटो : IANS

अल्प बचत योजनाओं में घट सकती है ब्याज दर

नई दिल्ली/एजेंसी

भारत सरकार की ओर से अल्प बचत योजनाओं यथा एनएससी या पीपीएफ में ब्याज दरों को कम किया जा सकता है। इस आशय की घोषणा जल्द हो सकती है। नई ब्याज दरें एक जुलाई, 2020 से प्रभावी होंगी। कटौती कितनी होती है, यह घोषणाओं के बाद ही पता चलेगा।

पर यह स्पष्ट है कि इस कटौती के कारण सबसे अधिक नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो कि अपना धन इनमें रखते हैं। उधर बैंकों की तरफ से भी ब्याज दरों में कटौती की खबरें आ रही हैं। वे भी इस कटौती का इंतजार कर रही हैं।

इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर भी ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, अभी यह 8.5 प्रतिशत के करीब है। इसके छह करोड़ सब्सक्राईबर हैं।

बैंकों में जमा विदेशियों के धन में
ीयों का हिस्सा मात्र 0.06 प्रतिशत

ीआई। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत तीन
77वें स्थान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी मिली
ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस नेशनल
) द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा धन
ामले में भारत काफी निचले पायदान पर आता है। स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों
0.06 प्रतिशत है। वहीं 2019 के अंत तक सूची में पहले स्थान पर रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों का
हिस्सा 27 प्रतिशत है। एसएनबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों (भारत
ओं के जरिये जमा सहित) का स्विस बैंकों में जमा धन
तिशत घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़

बैंकों की भारतीयों ग्राहकों के प्रति 'कुल देनदारी' है।
हकों के सभी तरह के खाते शामिल हैं। मसलन व्यक्तिगत
र कंपनियों की जमा। इन आंकड़ों में भारत में स्विस बैंकों
जमा भी शामिल है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो बैंकों
दिये हैं। इनसे स्विट्जरलैंड में जमा भारतीयों के कालेधन
मिलता जिसको लेकर चर्चा होती रही है। इन आंकड़ों में
वासी भारतीयों या अन्य का धन शामिल नहीं है जो स्विस
देशों की इकाइयों के नाम पर रखे गये हैं।

ब्रिटेन पहले स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका दूसरे, वेस्ट
ांस चौथे और हांगकांग पांचवें स्थान पर है। स्विस बैंकों
न में शीर्ष पांच देशों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है।
देशों का हिस्सा 66 प्रतिशत से अधिक है। सूची में शीर्ष
स्सा 75 प्रतिशत और शीर्ष 30 देशों का हिस्सा करीब 90
र्ष दस देशों में जर्मनी, लक्जमबर्ग, बहामास, सिंगापुर और
भी शामिल है। सिर्फ 22 देश ऐसे हैं जिनका स्विस बैंकों
हिस्सा एक प्रतिशत या अधिक है। इनमें चीन, जर्सी, रूस,
ऑस्ट्रेलिया, पनामा, इटली, साइप्रस, यूएई, नीदरलैंड,
ंजी शामिल हैं।

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

क्र.- एफ-13( ) उपा.आयो -द्वि./ननिज/2020/56 दि.-26.06.2020

सार्वजनिक सूचना

भूं. स. 78, सेनी कॉलोंनी, (दि राजहंस गृह निमार्ण सहकारी समिति लि.) जयपुर का जा. वि.प्रा द्वारा श्री केवल राम गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता को क्षेत्रफल 314.20 व.ग. भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) रजिस्टर्ड पट्टा मय साईट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी व मूल आवंटी की पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, रजि. हकत्याग की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड का उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदकगण द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड का उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण श्री गोविन्द लाल गुप्ता एवं श्री प्रहलाद गुप्ता पुत्रान श्री केवल राम गुप्ता उर्फ नवलकिशोर के पक्ष में उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण किया जाना है। उक्त भूखण्ड के उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होतो 07 कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त-आयोजना- द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

(मोहन सिंह) उपायुक्त (आयोजना- द्वितीय)
हैरीटेज एवं ग्रेटर, नगर निगम, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक आरई/भील/2020-21/149 दिनांक 25-06-2020

-जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 1-एफ-18 शास्त्री नगर योजना शहर भीलवाडा जो मूल आवंटी श्री अमरचंद शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल जी जोशी को सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के अंतर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 4145 दिनांक 20.12.1983 के द्वारा जारी किया गया है भौतिक कब्जा पत्र दिनांक 07.01.1984 को सुपुर्द किया गया तथा मकान की समस्त राशि जमा होने के पश्चात पत्र क्रमांक 760 दिनांक 29.06.1990 के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया श्री अमरचंद शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल जी जोशी के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 23.08.1990 के माध्यम से आवास के पंजीग्न हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये जिसे आवंटी ने दिनांक 24.08.1990 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में पंजीयन करवा लिए थे। इस प्रकार हाल रिकार्ड उक्त आवास श्री अमरचन्द शर्मा पुत्र श्री नाथु लाल जी जोशी के नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.04.1994 को श्री अमरचन्द शर्मा पुत्र श्री नाथु लाल जी जोशी द्वारा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जी सिन्धी को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जी सिन्धी द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू.5900/- दिनांक 04.03.2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वंय के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण/ नामांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्रवाही विचाराधिन है।

अत: उक्त कर्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सुचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान), फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त नौमाही		समाप्त वार्षिक वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	58.99	87.12	263.85	450.33
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(54.08)	(0.65)	(51.58)	14.25
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(54.08)	(0.65)	(51.58)	14.25
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(36.02)	(5.82)	(34.15)	9.72
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	(36.02)	(5.82)	(34.15)	9.72
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का)				
	मूल	(0.37)	(0.06)	(0.34)	0.01
	तरल	(0.37)	(0.06)	(0.34)	0.01

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर उपलब्ध है। (ब) 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के उपर्युक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणाम की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 26 जून, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26 जून, 2020